HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2365/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.3340/2024

Kamal Son Of Bajrang Lal, Resident Of Village Debeta P.s. Dablana District Bundi (Raj) (Accused Is Confined At Central Jail, Bundi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajashtan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Swaraj Panwar
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

10/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **कमल** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ0नि0) प्रकरण, बून्दी** द्वारा सैशन प्रकरण (सी0आई0एस0) नं0 **85/2017, सरकार बनाम कमल** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **28.11.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी को इस प्रकरण में 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान भी दिनांक 30.05.2015 से 27.08.2015 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह निर्णय की दिनांक 28.11.2024 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहान संजय शर्मा पी0ड01 एवं सुखपाल पी0डब्ल्यू–3 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, घटना में प्रयुक्त हथियार एवं जब्तशुदा हथियार के संबंध में भी विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का भी समग्रता से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस

न्यायालय में दिनांक **10.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **कमल पुत्र श्री बजरंग लाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /41